"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 फरवरी 2006 — माघ 17, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-10/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/155.— दिसम्बर 2004 में जिला बिलासपुर के नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सरोज देवी अग्रवाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-10/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/156.— दिसम्बर 2004 में जिला बिलासपुर के नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती नंदा मिश्रा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-10/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/157.— दिसम्बर 2004 में जिला बिलासपुर के नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अंजना चौकसे (बबली) को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-26/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/158.— दिसम्बर 2004 में जिला- कोरिया के नगर पंचायत शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री देवनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-26/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/159.— दिसम्बर 2004 में जिला- कोरिया के नगर पंचायत शिवपुर-चरचा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री लक्ष्मण सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-25/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/160.— दिसम्बर 2004 में जिला- कोरिया के नगर पंचायत बैकुन्ठपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. जमुना को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-25/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/161. — दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगर पंचायत बैकुन्ठपुर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री महेन्द्र नाथ दुबे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-25/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/162.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगर पंचायत बैकुन्ठपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री फूलसाय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-104/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/163.— दिसम्बर 2004 में जिला - दंतेवाड़ा के नगरपालिका परिषद् -बड़ेबचेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. किरण मरकाम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-104/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/164.— दिसम्बर 2004 में जिला - दंतेवाड़ा के नगरपालिका परिषद् -बड़ेबचेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. जीवनदानी लकरा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-104/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/165. — दिसम्बर 2004 में जिला - दंतेवाड़ा के नगरपालिका परिषद्-बड़ेबचेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. राजूकार्तिक कड़ती को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-104/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/166.— दिसम्बर 2004 में जिला - दंतेवाड़ा के नगरपालिका परिषद्-बड़ेबचेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सुखराम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.